

Court No. - 85

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 23978 of 2022

Applicant :- Ashwani Kumar And 5 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Madan Singh

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 75 सन 2022, अन्तर्गत धारा 498—ए, 323, 504, 506 भा०दं०वि० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सम्भल, जिला सम्भल में प्रेषित आरोप पत्र सं० 143/2022 से उद्भूत वाद सं० 1996 सन 2022, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल के न्यायालय में लम्बित है तथा इसमें पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दि० 19—7—2022 के विरुद्ध दायर किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता हो जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रकरण को संबंधित अवर न्यायालय के सुलह समझौता केन्द्र को रेफर कर दिया जाय।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उनका यह अनुरोध स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस प्रकरण में यह निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षकार संबंधित अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मामले को सुलह समझौता के द्वारा निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यदि प्रकरण को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करने के संबंध में आवेदन पत्र अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उस पर उचित आदेश पारित किया जाय तथा संबंधित मीडिएशन सेन्टर द्वारा उसे 4 माह के अन्दर निस्तारित कर दिया जाय।

आज से 5 माह तक आवेदकगण के विरुद्ध उपरोक्त वाद में समस्त अग्रिम कार्यवाही स्थगित रहेगी।

यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारों के मध्य उक्त मीडिएशन की प्रक्रिया विफल होती है तो संबंधित अवर न्यायालय उपरोक्त वाद में आवेदकगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है, और यदि पक्षकारों के मध्य उक्त मीडिएशन की प्रक्रिया सफल होती है तो आवेदकगण मीडिएशन सेन्टर की उस आख्या के साथ इस न्यायालय में आने को स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त अभ्युक्ति के साथ धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

दि० : 31—8—2022

के०सी०सिंह